झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–945 वर्ष 2017

बिंदेश्वरी दास, पे0–स्वर्गीय हरि राम, निवासी–गर्रीकलम, डाकघर एवं थाना–केरेडारी, जिला–हजारीबाग .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

भारतीय संघ, सी0बी0आई0 के माध्यम से .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री आर0एस0 मजुमदार, वरीय अधिवक्ता।

सी0बी0आई0 के लिए:– श्री के0पी0 देव, अधिवक्ता।

04 / 12.09.2017 याचिकाकर्त्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर0एस0 मजुमदार एवं सी0बी0आई0 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के0पी0 देव सुने गए।

इस आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने आर0सी0 केस सं0 4(एस0) / 2006(डी0) / 5(एस0) / 2006 (डी0) से उद्भूत होने वाले एस0टी0 सं0 333 / 2016 में विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 20.06.2017 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याचिकाकर्त्ता द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि हिरासत में मौत के संबंध में अन्वेषण सी0बी0आई0 को सौंपा गया था, जिसके कारण तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन याचिकाकर्त्ता को आरोपपत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद सूचक द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई, जिसमें सी0बी0आई0 ने अपना जवाब दाखिल किया था जिसमें भी याचिकाकर्त्ताओं का नाम नहीं था। याचिकाकर्त्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि किन्तु विद्वान एस0डी0जे0एम0 ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के परिशीलन के बाद संज्ञान लिया था और याचिकाकर्त्ता को मुकदमें का सामना करने के लिए भी समन किया था। यह निवेदन भी किया गया है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा उन्मोचन आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे काई कारण दिए बिना अथवा कोई कथन किए बिना कि कौन सी सामग्री है जो अन्वेषण के दौरान याचिकाकर्त्ता के खिलाफ संग्रहित की गई है जो याचिकाकर्त्ता का अभियोजन न्यायोचित ठहराएगी, 20.06.2017 को खारिज किया गया था।

सी0बी0आई0 के विद्वान अधिवक्ता श्री के0पी0 देव ने याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सी0बी0आई0 ने जीतन राम, पप्पू कुमार खतीक और गंगा पासवान उर्फ यदुनन्दन पासवान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। चूंकि याचिकाकर्त्ता को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, इसलिए सूचक द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई थी, जिसका जवाब सी0बी0आई0 ने सम्यक रूप से दिया था, जिसमें भी याचिकाकर्त्ता का नाम नहीं आया था। हालाँकि विद्वान एस0डी0जे0एम0 ने

दिनांक 09.02.2009 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया था एवं विचारण का सामना करने के लिए नामित अभियुक्तों के साथ समन किया था। याचिकाकर्त्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया जिसे 20.06.2017 को खारिज कर दिया गया था।

दिनांक 20.06.2017 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि परस्पर अधिवक्ताओं के निवेदन पर गौर किया गया है और आरोपों को भी ध्यान में लिया गया है, लेकिन दिनांक 20.06.2017 के आक्षेपित आदेश में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के खिलाफ अग्रसर होने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया था अथवा पर्याप्त सामग्री पाया था। अतः आक्षेपित आदेश किसी औचित्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण कारणों से रहित है क्योंकि किसी भी सामग्री पर चर्चा नहीं की गई है जो जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई है अथवा जो यह दिखाएगा कि याचिकाकर्त्ता आपराधिक मामले में अभियोजित किए जाने का हकदार है, उक्त आदेश कानून के अनुरूप नहीं है।

किसी उपयुक्त और न्यायोचित कारण के अभाव में, आर0सी0 केस सं0 4(एस0)/2006(डी0)/5(एस0)/2006 (डी0) से उद्भूत होने वाले एस0टी0 सं0 333/2016 में विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 20.06.2017 के आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त एवं अभिखंडित किया जाता है जहाँ तक याचिकाकर्त्ता का संबंध है और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती करने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर परस्पर पक्षों को सुनने

के बाद विधि के अनुरूप नया आदेश पारित करने के लिए मामला विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)